प्ररूप 44

[नियम 78(1) देखिए]

निवास के राज्य में परिवर्तन की सूचना और नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए राजनियक या कौंसलीय अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से आवेदन (तीन प्रतियों में दिया जायेगा)

| सेवा में, | | | |
|-----------|--|--------------------------------|----------|
| | रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी | | |
| | | | |
| | मैं(नाम और पदाभिधान) | जो मोट | र यान |
| vi | का स्वामी हूं जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 42 के | | |
| है यह घोष | वणा करता हूं कि मैने तारीख से उक्त यान | राज्य में रखा है और | मोटर |
| | ये रजिस्ट्रीकरण चिह्न के लिए आवेदन करता हूं। | | |
| | मैं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और यान के ठीक हालत में होने का प्र | प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं। | |
| विनांक | | स्वामी के हर | स्ताक्षर |
| * 'और य | यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र' शब्दों को यदि लागू न | हों तो काट दें। | |
| (विदे | देश मंत्रालय (प्रोटोकाल प्रभाग) या संबंद्ध राज्य के मुख्य सचिव वे | के कार्यालय में प्रयोग के लिये |) |
| silvani | प्रमाणित किया जाता है कि(नाम और पदाभिध की हैसियत धारण कर रहे हैं। वह इस समय(स्थ | | सलीय |
| अधिकारा | का हासपत यारण कर रहे हैं। पह इस समयर् | 111/10/13/11/01 | |
| श्थान | | पदाभिधान | |
| सारीख | | अधिकारी के हस्ताक्षर | |